## कार्यालय उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर।

कमांक / सान्याअवि / 2023 / 8153

दिनांक : 15/09/2023

## ई-निविदा सूचना संख्या 01/2023-24

इस विभाग द्वारा अजमेर जिले में संचालित राजकीय छात्रावासों में रसोईया एवं चौकीदारों की सेवाएं जॉब बेसिस पर लेने हेतु पंजीकृत संवेदको / संस्थाओं से शर्तरहित ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती हैं जिसकी अनुमानित लागत 76 लाख रूपये हैं। बिड से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वेब साईड sjerajasthan.gov.in या लॉक उपापन पॉर्टल की वेबसाईट sppp.rajsthan.gov.in या eproc.rajasthan.gov.in एवं DIPR की वेबसाईट dipr.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं।

UBN:- SOC2324WSOB00126

NIB:- SOC2324A0117

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

दिनांक : 15/09/2023

क्मांकः /सान्याअवि/2023/8154-8156

प्रतिलिपिः

1. श्रीमान् निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राज. जयपुर को उक्त विज्ञप्ती की प्रति आपकी मेल आई. डी. advt.dipr@rajasthan.gov.in पर भिजवाकर निवेदन हैं कि उक्त विज्ञप्ति का नियमानुसार आपके विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित कराने का श्रम करावें एवं ई—निविदा सूचना एक क्षेत्रिय स्तर के मुख्य समाचार पत्र में एवं राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में नियमानुसार प्रकाशित करावे।

2. श्रीमान् संयुक्त निदेशक (आई.टी.) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर को निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र भेजकर निवेदन हैं कि नियमानुसार विभागीय वेबसाईट पर

प्रकाशित कराने का श्रम करावें।

3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर/जिला परिषद्/नगर निगम अजमेर।

> सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर

# कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर

Email id- sjeajmer@yahoo.comटेलीफोन नं 0145-4008829

दिनांक:- 14,09,23

क्मांक:-- सान्याअवि / २०२३ / 🛭 💆 💆 🔿

उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेरके अधीन संचालित राजकीय छात्रावासो हेतु रसोइयो एवं चौकीदारों की सेवाएं जॉब बेसिस पर लेने हेतु राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी), आयकर (पैन नम्बर), राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956,के अन्तर्गत पंजीकृत संवेदकों / संस्थाओं से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत शर्तरहित ऑनलाईन (ई—प्रोक्योरमेंट) बोली आमंत्रित की जाती है।

महत्वपूर्ण दिनांक एवं समय

	1014	
	•	विवरण
	विवरण	[44.7]
豖.	1993	
		० - ० रे अनुसार
₹1.	रसोईयों व चौकीदार की जॉब बेसिस पर सेवा की आपूर्ति का कार्य UBN NO! - SOC2329WS0Bool26	शिड्युल G के अनुसार
1	रसोइया व चाकादार का जाब बारारा	
	THE THE LIEN NO! - SOCZ329WS00001-0	76.00 लाख रूपये
	471 4714 007 7 7	76.00 लाख राज्य
2	अनुमानित लागत	1000.00 रूपये
2		
3	बिड प्रपत्र शुल्क	अनुमानित लागत 76.00 लाख का 2
0		
4	बिड प्रतिभूति	प्रतिशत
		1500.00 रूपये
5	RISL प्रोसेसिंग फीस	15/09/2023 को सायः 6.00 बजे से
	बिड डाउनलोड करने की दिनांक	19/ 00/ 2021
6	विंड डाउनलाउ पर । नरा रेस	26/09/2023 को सांयः 6.00 बजे
	ऑनलाईन बिड अपलोड करने की अंतिम तिथि	27/09/2023 को प्रातः 11.00 बजे तक
7	Official First RISI	27/09/2023 of 910. 11.00 901 (19)
8	ऑनलाईन विड में दर्शाए गए बिड प्रपत्र शुल्क, RISL	
U	जना कराने की अन्तिम	
	प्रकिया शुल्क एवं बिंड प्रतिभूति जमा कराने की अन्तिम	
	तिथि	7 7 7 70 71 70 71 7
		27 / 09 / 2023 को मध्यान्ह 3.00 बजे
9	ऑनलाईन तकनीकी बिड खोलने की तिथि	
J		ऑन लाईन सूचित कर दिया जायेगा
10	ऑनलाईन वित्तीय बिड खोलने की तिथि	,
10		

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर

# कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर Email id- <u>sieajmer@yahoo.com</u>टेलीफोन नं0145-4008829

## तकनीकी बिड

1.	उपापन संस्था का विवरण	ः उपनिदेशक सामाजिक न्या	य एवं अधिकारिता विमान,
2.	अजमेर कार्य का विवरण	: रसोईयोंएवं चौकीदारों की ज	नॉब बेसिस पर सेवा की आपूरि
3. 4.	का कार्य अनुमानित लागत बिड आमंत्रण संख्या	: 76.00 लाख :	दिनांक
5.	बोलीदाता का विवरणः		
. ,			
		फर्म / कं. / अन्य) :	
(3)	पूर्ण पता :		
. ,			
(6)	ਤ–ਸਰ ਪਹ <del>ੀ</del>		

क्oसर् प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रकार एवं विवरण हां या पेज नं जिस वैघता नहीं पर सम्बन्धित दस्तावेज अविध	काविवरण
क्षा विकास के जिल्ला के जि	काविवरण
नहीं पर सम्बन्धित दस्तावेज अविध	
की प्रति संलग्न है।	
Λ ई—टेण्डर के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 1000	
/- जो कि ई-ग्रास के माध्यम से इस कार्यालय के पक्ष में	
बजट मद 0075-00-800-52-01 में ऑनलाईन जमा	
कराया जाकर इस निविदा के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।	
B ई-टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क राशि रूपये 1500/- जो कि	
ई-ग्रास के माध्यम से इस कार्यालय के पक्ष में बजट मद	
8658-00-102-16-02 में ऑनलाईन जमा कराया जाकर	
इस निविदा के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।	

D/ARV19/19-20/ACC/NIVIDA

0	बिड सिक्यूरिटी अनुमानित लागत 76.00 लाख का 2	
C	प्रतिशत राशि 1.52 लाख ई—ग्रास के माध्यम से इस	
	कार्याच्या के एक में उत्तर पर १४४० ०० ४४० ००	
	कार्यालय के पक्ष में बजट मद 8443-00-108-00-00 में	
	ऑनलाईन जमा कराया जाकर इस निविदा के साथ प्रस्तुत	
	किया जायेगा चालान की उक्त राशि जमा ना करवायें जाने	
	पर वित्तीय बिड नहीं खोली जायेगी तदनुसार सम्बन्धित की	
	बिड को निरस्त माना जायेगा।	
D	70 मैन पावर सप्लाई हेतु न्यूनतम तीन वर्ष का कार्य	
	अनुभव प्रमाण पत्र	
E	फर्म / संस्था के पंजीकरण / लाईसेंस की सूचना आदि	
-	A.राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं	
	उन्मूलन)अधिनियम 1970 (सफल निविदा दाता को	
	कार्यआदेश जारी के एक सप्ताह में लाईसेस प्रस्तुत	
	करना होगा )	
	B. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	
	C. कर्मचारी राज्य 'बीमा अधिनियम, 1948	
	D.वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) नं.	
	E. इण्डियन पाटर्नशिप एक्ट 1932	
	या	
	इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956	
	या	
-	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम	
	1958	
	[ 2004-1 (A)	
	F. आयकर (पैन नम्बर)	
F	गत तीन वर्षों की सी. ए .का ऑडिट रिपोर्ट (वित्तीय वर्ष	
	2020-21 से 2022-23)	
G	गत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न (वित्तीय वर्ष 2020–21 से	
	2022—23)	
H	किसी विभाग में ब्लैक लिस्ट नहीं होने का नोटेरी द्वारा	
	प्रमाणित 100/- रूपये के नॉन ज्यूडिशयल स्टाम्प पेपर	
	पर शपथ पत्र	
I	गत तीन वित्तीय वर्षो 2020—221 से 2022—23 तक का	
	औसत वार्षिक न्यूनतम ७६.०० लाख रूपये का टर्न आवर	
	का C.A. द्वारा प्रमाण पत्र (निधार्रित परिशिष्ट A के अनुसार	
	)	
J	परिशिष्ट 1,2,3,4 एवं A,B,C,D	
k		
L	की संख्या	
I		
	जिनके EPF खाते में अशंदान जमा कराया गया (चालान	
	एवं ई-रिसिप्ट की फोटो कापी संलग्न करें)	
	🖊 . गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यरत कार्मिको की संख्या	
	जिनके ESI खाते में अशंदान जमा कराया गया (चालान एवं	
-		

	ई-रिसिप्ट की फोटो कापी संलग्न करें)
N	बैक खाते का विवरण
	A. बैक खाता धारक / संस्था का पूरा नाम
	B. वैक शाखा का नाम
	. C बैक खाता प्रकार
	.D बैक खाता संख्या
	E. आई एफ एस सी कोड
	इसके अलावा हमारे द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं:—  1. 2. 3. 4. मैं/हम कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेरद्वारा जारी की गई बोली सूचना क्रमांक

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर

## कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर email id- sjeajmer@yahoo.com टेलीफोन नं 0145-4008829

## वित्तीय निविदा

संवेदक / संस्थाओं के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिए अपनी निविदा दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी:— (संवेदक द्वारा ई प्रोक्योरमेंट में ऑनलाईन भरा जायेगा)

कम्र स.	कार्य की प्रकृति	श्रमिक की श्रेणी	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्युनतम मजदूरी दर प्रति व्यक्ति प्रति माह	<b>EPFकी</b> दर 13 :से राशि	<b>ESIकी</b> दर 3.25 से राशि	कुल राशि	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति सेवा शुल्क राशि रूपयों में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रसोईया	कुशल	8024	1043	261	9328	
2	चौकीदार	अकुशल	7410	963	241	8614	

- 1. GST नियमानुसार लागू होगी।
- 2. सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रतिव्यक्ति सेवा शुल्क दर शून्य एवं ऋणात्मक स्वीकार्य नहीं होगी एवं दशमलव के बाद 2 अंको तक ही स्वीकार्य होगी।
- 3. श्रम विभाग की न्यूनतम मजदूरी दर में परिवर्तन राज्य सरकार की अधिसूचना / श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर परिवर्तन अनुसार परिवर्तित रहेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

## कार्यालय उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर में रसोईया व चौकीदार की जॉब बेसिस सेवा की आपूर्ति का कार्यः—

## बोलीदाताओं के लिए अनुदेश एवं शर्ते

Important Instruction: The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in public procurement Act, 2012" [herein after called the Act] and the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013" [herein after called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal <a href="http://sppp.raj.nic.in">http://sppp.raj.nic.in</a>. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules shall prevail.

### 1. निविदा प्रस्तुत करने की विधि व प्रक्रिया :

- बोली प्रस्तुत करने की इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा बोली प्रपत्र<a href="http://eproc.rajasthan.gov.in">http://eproc.rajasthan.gov.in</a> विभागीय वेबसाईट sjerajasthan.gov.पद पर भी उपलब्ध ळें
- 2. ऑनलाईन निविदाए<a href="http://eporc.rajasthan.gov.in">http://eporc.rajasthan.gov.in</a>पर प्रस्तुत की जायेगी जिसके लिए इस पोर्टल पर इच्छुक निविदादाताओं द्वारा रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा।
- 3. ऑन लाईन निविदा प्रस्तुत करने के लिए निविदादाता के पास टाइप 2 एवं टाईप 3 का डिजिटल सिगनेचर टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के अनुरूप होना आवश्यक है।
- 4. बोली इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में प्रस्तुत की जावेगी। निविदा से संबंधित वित्तीय बिड प्रपत्र के अतिरिक्त सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर स्केन करते हुए तथा आवश्यक अन्य दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर करने के उपरान्त स्केन करते हुए डिजिटल हस्ताक्षर कर निर्धारित दिनांक को निर्धारित समय तक प्रस्तुत करना होगा।
- 5. वित्तीय बिंड प्रपत्र फोरमेट में ऑनलाईन दरें प्रस्तुत की जावेगी। निविदादाता इस बात का विशेषध्यान रखेकि उनके द्वारा प्रस्तुत की जा रही दरें वित्तीय बिंड प्रपत्र के अलावा अन्य किसी स्थान परप्रकट नहीं की जावें
- 6. तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड़ को खोला जावेगा।
- 7. ऑनलाईन बिड़ प्रस्तुत करने के संबंध में आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु eprocurement cell. Rajasthan Info Services Ltd. (RISL) Department of Information Technology, Yojana Bhawan, Tilak marg, C-Scheme, Jaipur से 10 AM to 6 AM पर सम्पर्क किया जा सकता है।

### 2. ई.बिड प्रस्तुत करने के लिए पात्रताः

कोई भी व्यक्ति/फर्म/संस्था जो राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलंन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी), आयकर (पैन नम्बर), राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958, या इण्डियन पार्टनरशिप, एक्ट,1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956, के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा गत तीन वित्तीय वर्षों का औसत वार्षिक न्यूनतम टर्नऑवर रुपये 76.00 लाख (बोली मूल्य के बरावर ) हो। इस हेतु Annexure.1, Annexure.2पूर्ण रूपेण तथा चैक लिस्ट

Los

भरकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा तथा इससे सम्बंधित सभी दस्तावेजों की प्रति लगाना आवश्यक होगा।

#### 3. बिड की सामान्य निर्देश एवं शर्ते :

- 1. उपापन संस्था-कार्यालय उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर
- 2. उपापन की पद्धति— खुली प्रतियोगी बोली की पद्धति से दर संविदा हेतु द्वि प्रकृमी बोली।
- 3. बोली प्रपत्र का मूल्य-रूपये 1000/- जो कि ई-ग्रास के माध्यम से इस कार्यालय के पक्ष में बजट मद 0075-00-800-52-01 में ऑनलाईन जमा कराया जाकर इस निविदा के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
- 4. बोली प्रोसेसिंग शुल्क (RISL) 1500/- जो कि ई-ग्रास के माध्यम से इस कार्यालय के पक्ष में बजट मद 8658-00-102-16-02 में ऑनलाईन जमा कराया जाकर इस निविदा के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
- 5. बिड सिक्यूरिटी अनुमानित लागत 76.00 लाख का 2 प्रतिशत ई—ग्रास के माध्यम से इस कार्यालय के पक्ष में बजट मद 8443—00—108—00—00 में ऑनलाईन जमा कराया जाकर इस निविदा के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। चालान की उक्त राशि जमा ना करवायें जाने पर वित्तीय बिड नहीं खोली जायेगी तदनुसार सम्बन्धित की बिड को निरस्त माना जायेगा।

(नोट— निर्धारित दिनांक एवं समय तक बिड सिक्यूरिटी, निविदा प्रपत्र शुल्क व प्रोसेसिंग शुल्क की राशि ई—ग्रास के माध्यम से चालान पृथक—पृथक एवं एक साथ चालान बनाकर भी इस निविदा के साथ ही इस कार्यालय के पक्ष में ऑनलाईन चालान द्वारा प्रस्तुत करें।)

- 4. निविदा प्रस्तुत करने वाले को दर BOQमे ऑनलाईन भरी जानी है।
- 5. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
- 6. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, के अर्न्तगत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
- 7. सवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदुरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा करावई गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
- 8. श्रम, विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
- 9. श्रमिकों को निर्धारित न्युनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर मे श्रम विभाग की अधिसुचना के समय—समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
- 10. संवेदक को राज्य / केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई. पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अशंदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल / बिलों का भुगतान किया जायेगां।
- 11. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर डिस्पले वोर्ड लगाये जायेगें, जिन पर संवेदक कानाम, संविदा अविध, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु हेल्पलाईन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने, की स्थिति में शिकायत करने सम्बन्धित प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

Any.

- 12.राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगो। प्रस्तुत चालानों के साथ लगाये गये कर्मचारियों के EPF, ESI,के चालानों में नामों व खाता संख्या वर्णित आधार कार्ड सहित डिटेल प्रस्तुत करनी होगी।
- 13.श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करन का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अर्न्तगत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं दिशा-निर्देशों आदि का पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों / दायित्वों के लिये सवेंद्रक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 14. सवेंद्रक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जावेगी। वस्तु एवं सेवाकर की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर ( जी.एस.टी) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तर दायित्व संवेदक का होगा।
- 15.यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिये उत्तरदायी होगा।
- 16.नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हठाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी , मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
- 17. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध / संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने / ई.एस.आई. करवाने / सामुहिक, दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 18.किसी संवेदक / संस्था द्वारा गलत / मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर कार्यालय आदेश रदद कर दिया जाएगाएवं संवेदक / संस्था को ब्लेक लिस्ट कर दिया जाएगा।
- 19.यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डिबार कराने की कार्यवाही करेगी।
- 20.फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म को मुक्त नहीं किया जाएगा।
- 21.निविदा के साथ सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा जारी जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- 22. निविदा खोले जाने की दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- 23.श्रम विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, आयकर विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, नगरपालिका, ग्राम पंचायत इत्यादि सरकारी/अर्द्ध सरकारी/निगम आदि से संबंधित समस्त प्रकार के कर एवं शास्तियों के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
- 24. भुगतान : बोलीदाता को निम्नानुसार भुगतान किया जायेगा : -
- (अ) भुगतान संबंधित छात्रावास अधीक्षक एंवं ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर स्वीकृत दर पर देय होगा। बिल का प्रमाणन उप निर्देशक सान्याअवि अजमेर से कराना होगा।
- (ब) कार्मिक को साप्ताहिक अवकाश देना होगा एवं साप्ताहिकअवकाश के दिन अतिरिक्तकार्मिक लगाने होंगे अन्यथा अगले माह का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- (स) न्यूनतम मजदूरी भुगतान का प्रमाण पत्र आगामी बिल के साथ प्रस्तुतकरना होगा।
- (द) समय–समय पर लागू श्रम अधिनियम एवं नियमों की पालना करनी होगी।

(य) सरकार की देय समस्त करों की कटौती बोली दाता के बिल में से की जायेगी।

(र) भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्यकरने के उपरान्त पिछले माह के ई.पी.एफ. ई.एस.आई.संविदा कर्मियोंके खातों में जमा राशि का चालान एवं विवरण प्रस्तुत करने पर ही कियाजायेगा। वसलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।

(ल) जी.एस.टी. का भुगतान अलग से देय होगा।

- 25. अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत निविदादाता से जो भी वसूली बनती है उसकीभरपाई यदि एक माह में नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली निविदाता द्वारा प्रस्तुत बिल में से तुरन्त कर ली जावेगी यदि फिर भी इस प्रकार वसूली पूरी तरह संभव नहीं हो तो राजस्थान लोक मॉग अधिनियम (वसूली) 1952 के अधीनया तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जावेगी।
- 26. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरवायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और वोली प्रक्रिया को रदद करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
- 27. सेवाओं की गारंटी / वारंटी बोली दाता को उपापन की सेवाएँ बोली दस्तावेजों एवं समय— समय पर उपापन संस्था द्वारा दिये निर्देशों के अनुरूप संपादित करनी होगी। निरीक्षण के दौरान सेवाएँ संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर उपापन संस्था को अनुबन्ध समाप्त करने या ऐसा निर्णय लेने का अधिकार होगा जो वह युक्तियुक्त समझें। उपापन संस्था का निर्णय अंतिम एवं बोली दाता के लिए बाध्यकारी होगा।
- 28.कार्या सम्पादन प्रतिभूति राशि :--सफल निविदादाता को 3,80,000 की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि, जो उपदिशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर, के पक्ष में देय हों, कार्यालय में अधिकतम सात दिवस की अविध में प्रस्तुतकरना होगा।निविदा दाता उक्त राशि डीडी/एफ.डी. के रुप में पेश कर सकते हैं।

29. करार का निष्पादन (Execution of Agreement)

- 1. सफल बोली लगाने वाले को निविदा दाता को स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम सात दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक हैं । विशेष परिस्थितियों में कार्यालय को उक्त अवधि बढ़ाने या घटाने का अधिकार होगा।
- 2. यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, बिनिर्दिश्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन संस्था ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों की बोली लगाने वालों को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

3. बोली लगाने वाले को उसके खर्चे पर रूः 1000/- के मूल्य के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर करार निष्पादित करना होगा।

- 4. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड्त (Counter foil) निःशुल्क निविदादाता को दी जाएगी।
- 30. बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग : अधिनयम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी बोली लगाने वाले या यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबंध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप—धारा (3) और और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई कर सकेगी।
- 31.वाद-विवाद : किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में प्रकरण पक्षकारों द्वारा विभागाध्यक्षों को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ के रूप में स्वयं अथवा विभाग के सक्षम अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह अधिकारी इस संविदा से संबंधित नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- 32. न्यायिक क्षेत्र : इस निविदा के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका न्यायिक क्षेत्र अजमेर शहर होगा।

Any

- 33. कार्य की अवधि कार्यादेश तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अवधि घटाने या बढ़ाने का अधिकार उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर के पास होगा। स्थायी कार्मिक उपलब्ध होने की दशा में ठेका समाप्त कर दिया जाएगा।
- 34. रसोईयो एवं चौकीदारों के कार्यों को वित्तीय स्वीकृति के लिए दरों के संबंध में पृथक पृथक ईकाई माना जाएगा।
- 35. प्रत्येक पृष्ठ पर पेज नम्बर अंकित करना है।
- 36.अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम,राज. लोक उपापन मे पादर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार मान्य होगी तथा उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों एवं आदेशों का पालन करना होगा।
- 37. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि निम्न परिस्थितियों में जब्त कर ली जायेगी:-
  - 1-संविदा की शर्तों के उल्लंघन करने पर।
  - 2-सन्तोषजनक रुप से कार्य नहीं करने पर। उक्त दोनो स्थितियों में कार्यालयाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।
- 38. शर्तों के उल्लघंन पर फर्म / संस्था को ब्लेक लिस्ट भी किया जा सकता है।
- 39. Annexure-1,23,4 व A, B ,C, D संलग्न करना आवश्यक है।
- 40. निविदा में दरें समान आने पर उपापन समिति द्वारा निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर निविदा का निर्णय किया जावेगा—

	निष्य प्रापा जापगा—			
क. सं.	चयन का आधार		कार्यकुशलता का विवरण	चयन के लिए निर्धारित अंकों की संख्या
	<del></del>	अ.	50 लाख तक	10 अंक
1.	गत तीन वित्तीय वर्ष 2020—21 से 2022—23 का औसत टर्नओवर	ब.	50,00,001 से 1 करोड़	15 अंक
	;सी.ए. की रिपोर्ट के आधार पर	स.	1 करोड़ से अधिक	20 अंक
	(एनेक्सर– 1 अनुसार)	द.	यदि एक से अधिक निविदादाता का टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक हैं तो सबसे अधिक टर्नओवर वाले केवल एक संवेदक को 05 अंक अतिरिक्त देय होंगे।	
	संवेदक / फर्म   माह   अगस्त   2023   में	अ.	1—50 कार्मिको तक	10 अंक
2.	उपलब्ध कराये गये कुल मैन-पावर की संख्या व उनको देय गत वित्तीय	ब.	51-75 कार्मिको तक	15 अंक
	वर्ष 2022–23 में कार्यरत कार्मिको की	स.	76—100 कार्मिको तक	20 अंक
	संख्या जिनके ESI खाते मे अशंदान जमा कराया गया (चालान एवं ई–रिसिप्ट की फोटो कापी संलग्न करें)	द.	100 से कार्मिको से अधिक  यदि एक से अधिक निविदादाता हैं तो सबसे अधिक कार्मिक सप्लाई करने केवल एक संवेदक को 05 अंक अतिरिक्त देय होंगे।	
3.	संवेदक /फर्म का रजिस्ट्रेशन	अ.	राजस्थान राज्य के बाहर की फर्म / संवेदक होने पर	10 अंक
	के अनुसार ; रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें	ब.	राजस्थान राज्य के अंदर किन्तु अजमेर संभाग से बाहर की फर्म/संवेदक होने पर	15 अंक



	अजमेर संभाग के अंदर किन्तु अजमेर जिले से बाहर की फर्म/संवेदक होने पर	20 अंक
द.	अजमेर जिले की फर्म/संवेदक होने पर	<b>25</b> अंक

यदि इसके उपरान्त भी दो या दो से अधिक संस्थाओं को एक समान अंक प्राप्त होते है तो उपापन सिमिति द्वाराकिसी एक संवेदक का चयन सर्वमान्य होगा जिसका समस्त अधिकार उपापन समिति को होगा।

हस्ताक्षर निविदादातामय सील

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

#### (अ) चौकीदारों के कार्य एवं शर्तों का विवरण —

1. निदेशालय द्वारा जारी सुरक्षा संबंधी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।

- 2. छात्रावास में आवक-जावक रजिस्टर, गेट रजिस्टर/विजिटर रजिस्टर का संधारण करना।
- 3. आवासीय छात्रों / छात्राओं के अलावा बाहरी छात्रों / छात्राओं का प्रवेश निषेध होगा।
- 4. आवासीयछात्रों / छात्राओं को परिजनों से मिलवाने का रजिस्टर में इन्द्राज करना होगा।
- 5. छात्रावास अधीक्षक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
- महिला एवं छात्रा छात्रावासों हेतु 8-8 घण्टे के अन्तराल से चौकीदारों की व्यवस्था करनी होगी।
- 7. छात्र छात्रावासों हेतु प्रातः 7:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक चौकीदार रखना होगा।

### (ब) राजकीय छात्रावासों में चौकीदारी के कार्य हेतु विशिष्ट शर्तें—

- 1. छात्रावास की सम्पत्ति का दुरूपयोग नही करना।
- 2. चौकीदारी कार्य ढंग से करते हुये ड्यूटी पर उपस्थित होना।
- चौकीदारी कार्य करने वाला शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है।
- 4. चौकीदार को खाने-पीने के लिए किसी प्रकार की खाद्य सामग्री देय नहीं है।
- चौकीदार को स्वयं के खर्चे पर ड्यूटी पर उपस्थित होना होगा।
- आवासीय छात्रों / छात्राओं से किसी प्रकार की कठोर व अप्रिय भाषा का प्रयोग नहीं करेगा।
- छात्रावास में लगाये गये पेड़ पौधों को साफ सुथरा रखना एवं नियमित पानी देना होगा।
- छात्रावास परिसर मे मद्य पान निषेध होगा।
- 9. चौकीदारी कार्य करने वाले को अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा से अपने दायित्व की पालना करनी
- 10. छात्रावास अधीक्षक के आदेशानुसार समय समय पर चौकीदारी व अन्य निर्देशों की पालना करनी
- 11. छात्रावास परिसर में सामग्री या सामान की संख्या में कमी, दुरूपयोग व जान बूझकर खराब करने पर सेवाप्रदाता द्वारा क्षतिपूर्ति का भूगतान करना होगा।
- 12. कार्य से अनुपस्थित रहने पर स्वीकृत/अनुमोदित दर की2 गुना राशि अथवा दैनिक मजदूरी/अन्य से कार्य कराने की राशि, जो भी अधिक हो, सेवा प्रदाता को वहन कुरनी होगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर ।

मैंने / हमने उपरोक्तानुसार अ में 1 से 7 एवं ब में 1 से 12तक अंकित शर्तो को भली भांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। मैं / हम उपरोक्त वर्णित सभी भार्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है।

दिनांक:- निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

## रसोई के कार्य का विवरण एवं विशिष्ट शर्तें—

- आवासीय छात्र / छात्राओं के लिये नाश्ता— चाय, दूध, पोहे, दलिया, अंकुरित चने एवं अन्य आइटम बनाना।
- 2. आवासीयछात्रों / छात्राओं के लिये सुबह का भोजन जिसमें दाल, चावल, सब्जी चपाती, दही, सलाद आदि बनाना।
- आवासीयछात्रों / छात्राओं क लिये रात का भोजन बनाना जिसमे दाल चपाती, खिचड़ी, चावल, सब्जी दूध आदि बनाना।
- 4. रसोई की साफ-सफाई रखना व प्रयोग में आने वाले बर्तनों की साफ-सफाई देखभाल व सुरक्षा करना।
- आवासीयछात्रों / छात्राओं के लिये दूध, नाश्ता, भोजन, फल आदि के वितरण व खिलाने में सहयोग करना।
- 6. खाद्य सामग्री का अपव्यय नहीं करना, समय पर ड्यूटी पर उपस्थित होना, शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना, स्वंय के खर्चे पर ड्यूटी पर उपस्थित होना कठोर एवं अप्रिय भाषा का प्रयोग नहीं करना, सम्पूर्ण प्रकिया में स्वच्छता का विषेश ध्यान रखना आदि।
- निदेशालय द्वारा जारी मेनू एवं छात्रावास अधीक्षक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार रसोई संबंधी कार्य करना।
- 8. रसोईयों के प्रयोग में आने वाली सामग्री या सामान की संख्या में कमी, दुरूपयोग व खराब होने पर सेवाप्रदाता द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।
- 9. विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली व्यवस्था 1. रसोई में आवश्यकतानुसार प्रयोग में आने वाले बर्तन, उपकरण, गैस आदि उपलब्ध करवाए जायेंगे। 2. नाश्ता भोजन आदि बनाने की सम्पूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाई जायेगी। 3. रसोई की साफ–सफाई में प्रयोग में आने वाला समस्त सामान उपलब्ध करवाया जायेगा।
- 10. कार्य से अनुपस्थित रहने पर स्वीकृत/अनुमोदित दर की 2 गुना राशि अथवा दैनिक मजदूरी/अन्य से कार्य कराने की, जो भी राशि अधिक हो, सेवा सेवाप्रदाता को वहन करनी होगी।
- 11. प्रत्येक दिन दिये जाने वाला नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि भोजन की समस्त तैयारी पूर्व में ही करनी होगी।
- 12. रात्रि भोजन सांय 8 बजें तक बनाना होगा।
- 13. 1 से 25 छात्रों / छात्राओं पर एक रसोईया, 26 से 50 छात्र / छात्राओ पर दो रसोईये, 51 से 75 छात्र / छात्राओं पर तीन रसोईये एवं 75 से अधिक छात्र / छात्राओं पर चार रसोईये उपलब्ध कराने होगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर। मैंने / हमने उपरोक्तानुसार शर्त संख्या 1 से 13तक वर्णित शर्तों को भली भांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। मै / हम उपरोक्त वर्णित भार्तों की पूर्ण पालना करने के लिये सहमत है।

दिनांक:- हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर के अधीन संचालित राजकीय छात्रावासो की सूची

क्र.सं.	नाम छात्रावास	स्वीकृत छात्र / छात्रों की संख्या	जॉब बेसिस पर रसीईयों	जॉब बेसिस पर चौकीदारों की अनुमानित संख्या
1	राज0 अम्बडे छात्रा सुभाष नगर अजमेर	30	2	1
2	राजकीय सावित्री बाई फूले कन्या छा० कोटडा	25	1	2
3.	राजकीय अम्बडेकर छात्रावास गगवाना	45	2	0
4	राजकीय महिला अनु॰जाति महा. स्तरीय छात्रा. कोटडा	105	4	3
5	राजकीय अम्बडेकर छात्रावास किशनगढ	40	2	1
6	राजकीय अम्बडेकर छात्रावास रूपनगढ	45	2	1
7	राजकीय अम्बडेकर छात्रावास अराई	25	0	0
8	राजकीय अम्बडेकर छात्रावास सरवाड	50	1	0
9	राजकीय अम्बडेकर छात्रावास सावर	35	0	0
10	राजकीय अम्बडेकर छात्रावास सापला	45	1	0
11	राजकीय अम्बडेकर छात्रावास प्रान्हेडा	25	1	1
12	राजकीय अम्बडेकर छात्रावास पीसागन	40	1	0
13	राजकीय अम्बडेकर छात्रावास पुष्कर	40	1	0
14	राजकीय अम्बडेकर छात्रावास भिनाय	35	2	0
15	राजकीय सावित्री बाई फूले अनु. जाति कन्या छा० नागौला	. 50	2	2
16	राजकीय सावित्री बाई फुले अनु. जाति कन्या छा० व्यावर	50	2	2

			with the contract of the contract of	the state of the state of the state of
	राजकीय अम्बडेकर छात्रावास		1	1
17	मसूदा	45		httelige bederverad
	राजकीय अम्बडेकर छात्रावास		3	1
18	विजयनगर	65		
	राजकीय अम्बडेकर छात्रावास		3	1111
19	केकडी	70		
	राजकीय अम्बेड़कर (अन्य पिछडा		3	1
20	वर्ग) छात्रावास ब्यावर	60		
	राजकीय पालनहार छात्रावास		2	1
21	बालक महा०स्तरीय अजमेर	50		
	राजकीय देवनारायण छात्रा० बालक		2	1
22	मसूदा	50	11	
	राजकीय देवनारायण छात्रा बालक	(B)	2	0
23	भिनाय	30		
	राजकीय देवनारायण छात्रा		3	3
24	बालिका महा०स्तरीय धूधरा	75		
	राजकीय ईडब्ल्यूएस बालिका महा.		2	3
25	स्तरीय छात्रावास कोटडा	50	<b>TO 10</b>	
	योग	1180	45	25
1				

नोटः- छात्रावासों में आवासीय बच्चों की संख्या के अनुसार कामगारों की संख्या कम/अधिक की जा सकती है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर

D/ARV19/19-20/ACC/NIVIDA

#### **CERTIFICATE OF ANNUAL TURNOVER**

It is to certify that the average annual turnover of M/s
Address
for the last three
financial years in supply of regarding work was :-

Sr. No.	Financial Year	Annual Turnover in same Contract (Rs. In Lakh)	Remarks
1.	2020-21	,	
2.	2021-22		
3.	2022-23		

Date:

Signature of the Auditor/Seal

**Charted Accountant** 

Place:

(name and Address)

Tel. No. :-Mob.No. :-

#### Annexure '2'

बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा:—

जावेगा:-					-
क. सं	विवरण	रजि० सं०	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नव क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970)	100			
	(सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के एक सप्ताह में लाईसेन्स प्रस्तुत करना होगा)				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर				
5	आयकर (पैन नम्बर)	- 1			
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या			- 2	
	इण्डियन पार्टनिशिप एक्ट, 1932 या				
7	इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956				
	बिड प्रपत्र शुल्क , प्रक्रिया शुल्क, बिड सिक्यूरिटी घोषणा पत्र सल	ांग्न करना।			
8	किसी विभाग में ब्लैक लिस्ट नहीं होने का नोटेरी द्वारा प्रमाणित 100/— रूपये के नॉन ज्यूडिशयल पर शपथ पत्र संलग्न करना।				
9	70 मैन पावर सप्लाई हेतु न्यूनतम तीन वर्ष का प्रमाण पत्र संलग्न	करना			
10	गत तीन वर्षों का सीए की ऑडिट रिपोर्ट (वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2022–23) संलग्न करना				
11	गत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न (वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2022–23) संलग्न करना				
12	गत तीन वर्षों का औसत वार्षिक न्यूनतम 76.00 लाख रूपये का टर्न ओवर का C A द्वारा प्रमाण			रा प्रमाण	
13	परिशिष्ट 1,2,3,4 एवं A,B,C,Dसंलग्न करना				
14	अगस्त 2023 में फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये मेन पावर की संख्या				
5	गत वित्तीय वर्ष 2022—23 में कार्यरत कार्यिको की कं	के EPF खात	ने मे अशंद	न जमा	
6	गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यय कार्यिक के	SI खाते मे a	الانجام عنوا	7 3171	
	गया (चालान एवं ई–रिसिप्ट की फोटो कापी संलग्न करें)	N	. रायाग जाम	। कराया	

हस्ताक्षर निविदादाता दिनांक :--

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर

### Annexure 3 घोषणा पत्र

मैं / हम यह घोषणा करते है कि मैनें / हमने निविदा शर्तों के विरूद्ध कोई शर्त नहीं लगाई है यदि कहीं अंकित कर दी गई है तो निविदा स्वतः अस्वीकार मानी जायेगी।

यह है कि यह संस्था/फर्म श्रम विभाग में श्रमिक सप्लाई करने हेतु पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या......दिनांक .....दिनांक है। यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा धरोहर राशि जब्त कर सकेगा और यदि निविदा स्वीकृत कर ली गई है तो उसे निरस्त कर प्रतिभूति राशि (सिक्योरिटी) जब्त कर सकेगा।

दिनांक:-

बोलीदाता के हस्ताक्षर नाम मय सील

## निविदादाता की घोषणा

बोली की समस्त जानकारी / शर्तों को मैंने / हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मेरी/हमारी फर्म/संस्था उक्त कार्य हेतु रिजस्टर्ड है। वास्तव में निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित कार्मिक उपलब्ध है तथा अधिनियम की धरा 46 एवं नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती हे, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी निविदा प्रतिभूति/कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त किया जा सकेगा। तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता नाम मय सील

## Annexure – A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest:

Any person participating in the procurement process shall -

- a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process:
- b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process:
- f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- g) disclose conflict of interest, if any; and
- h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

#### **Conflict of Interest:**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly

influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations. i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a

position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence

the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more

than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this

does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in

more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or

technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as

engineer-in-charge/consultant for the contract.

# Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

In relation to my/our Bid submit to	Declatation by the Bi	dder	in
have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding:  5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document which materially affects fair competition;  Date:  Place:  Name:  Desination:	In relation to my/our Bid submit to	te	gerial resources and gentity; le to the Union and ocument: p. not have my/our business activities ing reasons; eted of any criminal false statements of ment contract within
Date: Signature of Bidder Place: Name: Desination:	have been otherwise disqualified pursuant to deba- 5. I/We do not have a conflict of interest as speci	rment proceeding; fied in the Act, Rule	
Place: Name: Desination:	Document which materially affects fair competition	11,	
Place: Name: Desination:			
		Name: Desination:	nature of Bidder

#### Annexure C **Grievance Redressal duringProcurement Process**

The designation and address of the First Appellate Authority is CHIEF EXECUTIVE OFFICER, ZILA PRISHAD, AJMER

The designation and address of the Second Appellate Authority is DIRECTOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT AJMER

- 1. Filing an appeal: If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels
  - aggrieved: Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only Bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an by a appeal related to the matter of Financial Bids may be tiled only by a Bidder whose Technical Bid
- 2. The officer to whom an appeal is filed under para (I) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- 3. If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
- 4. Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.
- (a) An appeal under para (l) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies 5. Form of Appeal
  - (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying
  - (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.
- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be 6. Fee for filing appeal
  - (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled
  - India payable in the name of Appellate Authority concerned.
- 7. Procedure for disposal of appeal

<ul> <li>(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority. filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal any, Page 15 to the respondents and fix date of hearing.</li> <li>(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority, as the case may be, shall,—  (i) hear all the parties to appeal present before him; and (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there (c) After hearing the parties, perusal or inspection of document copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerns thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerns and provide the copy of order to the parties to appeal free (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be presented.</li> </ul>	reof relating to the matter.  ts and relevant records or med shall pass an order in the of cost.  blaced on the State Public				
Procurement Portal.	FORM No. 1				
[See rule 83]  Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act,  2012					
Appeal No					
2. Name and address of the respondent(s):  (i)  (ii)  (iii)					
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the offic authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or or the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellan aggrieved:  4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal at the representative:					
<ul><li>5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:</li><li>6. Grounds of appeal:</li></ul>					
(Supported by an affidavit) 7. Prayer:					
Place					
Date					
	Appellant's Signature :				

Transma orginatule

#### **Additional Conditions of Contract**

#### 1- Correction of Arithmetical Errors:

Provided that the bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:-

- I. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected:
- II. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- III. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.
- IV. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

#### 2- Procuring Entity's Right to Vary Quantities :

- i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Documents may be increased or decreased, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- Additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% and 50% of Quantity of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

Date:	Signature of Bidder
Place:	Name:
	Desination:
	Address:

D/ARV19/19/20 ACC/MVIDA 23